

बिहार सरकार फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - घोषी

प्रमाणित किया जाता है कि शिब्ली परवीन(Shibli Perween), पिता-मोo फारूक आलम(Md Farooque Alam), माता-निलोफर(Nilofer), ग्राम/मोहल्ला-सैदपुर, पोस्ट-घोषी, थाना- घोषी, प्रखंड-घोषी, अनुमंडल-जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, राज्य बिहार साई/फकीर/दिवान/मदार (मुस्लिम), साई(मुस्लिम) समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में अनुक्रमांक 93 पर अंकित है | अतः शिब्ली परवीन, पुत्री- मोo फारूक आलम, माता-निलोफर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) की है |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्थाo (एसoसीoटीo) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आती है |

स्थान : घोषी

दिनांक : 29/04/2024





राजस्व अधिकारी घोषी (हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच https://serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें। नोट: यह दस्तावेज DigiLocker पर भी उपलब्ध है।